न्यायालय प्रथम अपील अधिकारी एंव जिला कलेक्टर,टोंक

प्रकरण संख्या 63/2025

श्री आशाराम चौधरी पुत्र रामेश्वर लाल चौधरी निवासी सीसोला पो. प्यावडी तहसील पीपलू जिला टोंक राज. --अपीलार्थी

बनाम

राज्य लोक सूचना अधिकारी एंव अति0 जिला कलेक्टर टोंक --प्रत्यर्थी

अपील अन्तर्गत धारा 19(1) सूचना का अधिकार अधिनियम 2005

निर्णय दिनांक 27.08.2025

प्रकरण का संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि अपीलार्थी ने सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत राज्य लोक सूचना अधिकारी एंव अति0 जिला कलेक्टर टोंक को दिनांक 25.03.2025 को आवेदन पत्र प्रस्तुत कर निम्न वर्णित सूचना चाही गई थी :-

ग्राम सिसोला तहसील पीपलू जिला टोंक के किसान रामकिशोर पुत्र कालू के खेत खाता संख्या 456 में सिचाई हेतु कुआ बनाया हुआ है जिसका विवरण निम्नानुसार है।

खसरा संख्या 455 (खाता संख्या 248, पुराना खाता संख्या 244)

बनाए गए कुए के लिए खेत खाता संख्या 456 की कितनी जमीन कुए के साथ जोड़ी गई है और इसके संबंध में अंतिम परिवर्तन कब किया गया है ? कृपया अंतिम बार किए गए परिवर्तन से सम्बन्धित दस्तावेज कि प्रति / नक़ल प्रेषित करने कि कृपा करें।

अपीलार्थी को निर्धारित समयावधि में सूचना उपलब्ध नहीं होने पर प्रत्यर्थी के विरूद्ध अपील प्रस्तुत की गई है। अपील दर्ज रजिस्टर कर अपील प्रा0पत्र की छायाप्रति राज्य लोक सूचना अधिकारी एंव अति0 जिला कलेक्टर टोंक को पत्र कमांक 1353 दिनांक 21.07.2025 को प्रेषित कर रिपोर्ट तलब की गई। अपीलार्थी को सुनवाई हेतु तलब किया गया। अपीलान्ट उपस्थित नही हुए। राज्य लोक सूचना अधिकारी एंव अति0 जिला कलेक्टर टोंक ने पत्र कमांक 716 दिनांक 30.07.2025 से जवाब प्रेषित किया है कि अपीलार्थी द्वारा चाही गई सूचनां लोक सूचना अधिकारी एवं तहसीलदार पीपलू से संबंधित होने से उनके पत्र कमांक 701 दिनांक 17.07.2025 से प्रार्थना पत्र अन्तरित किया गया है। प्रा0पत्र की छायाप्रति लोक सूचना अधिकारी एवं तहसीलदार पीपलू को पत्र कमांक 1484 दिनांक 31.07.2025 को प्रेषित कर रिपोर्ट तलब की गई। लोक सूचना अधिकारी एवं तहसीलदार पीपलू ने पत्र कमांक 3207 दिनांक 12.08.2025 से जवाब प्रेषित किया है कि अपीलार्थी द्वारा चाही गई सूचना दिनांक 12.08.2025 से उपलब्ध करवादी गई है। अतः अपील में कोई कार्यवाही अपेक्षित नहीं होने से अपील अस्वीकार योग्य है।

फलतः अपील अपीलाण्ट अस्वीकार की जाती है। निर्णय की प्रति राज्य लोक सूचना अधिकारी एंव अति0 जिला कलेक्टर टोंक, लोक सूचना अधिकारी एवं तहसीलदार पीपलू तथा अपीलार्थी को प्रेषित की जावे।

(कल्पना अग्रवाल)
प्रथम अपील अधिकारी
एंव जिला कलेक्टर टोंक

जिला कलेक्टर
टोंक

न्यायालय जिला कलेक्टर टोंक (राजस्थान)

700